न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	08.04.2019	21.06.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कैलाश साहू पुत्र नारायण साहू जाति तेली निवासी छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक मैसर्स साहू मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक राज0

2– मैसर्स साहू मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–**निर्णय**–: **दिनांक 21.06.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.11.2018 को समय सांय 2.00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स साहू मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एंव प्रोपराइटर की हैसियत से श्री कैलाश साहू पुत्र नारायण साहू जाति तेली निवासी छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक मैसर्स साहू मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के गोदाम में **मावा (खोया)**रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री कैलाश साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कैलाश साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम में **मावा (खोया)** स्ओील की 2 ट्रे मे लगभग 10–15 किलोग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से एक ट्रे मे से 1 किलोग्राम **मावा (खोया)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री कैलाश साहू को रू0 250/–अक्षरे दो सो पचास रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मावा (खोया)** 1 किलोग्राम को बराबर –बराबर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एंव सूखी कांच की चार शिशियो मे बराबर–बराबर शिशी मे 250–250 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बंद व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2056 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2056 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. कैलाश साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/213 दिनांक 23.01.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2222/एक्ट/2018/89 दिनांक 04.01.2019 अनुसार कैलाश साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मावा (खोया)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मावा (खोया)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मावा (खोया)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा (खोया)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के तहत अप्रार्थी श्री कैलाश साहू पुत्र नारायण साहू जाति तेली निवासी छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक मैसर्स साहू मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक राज0पर शास्ती 7,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबधित मद में निर्णय दिनांक 21.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner